"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 453] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2013—आश्विन 9, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7- 18/2013/32. —— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करना प्रस्तावित करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उसको, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, कक्ष क्रमांक एम-5/15, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर द्वारा कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकेंगे, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 24 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"24 (अ)- सक्षम प्राधिकारी, भवन अनुज्ञा हेतु विहित शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त होने पर विहित समयावधि के दौरान अनुमोदित भवन योजना में किसी उपान्तरण की अनुज्ञा दे सकेगा, भवन अनुज्ञा में परिवर्तन निम्नलिखित भवन नियंत्रण परिमानक को छोड़कर किया जा सकेगा :-

(क) सामने का सीमांत खुला क्षेत्र.

(ख) भवन की ऊंचाई.

(ग) पार्किंग, सार्वजनिक उपयोग का स्थल.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 7-18/2013/32.—— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1-10-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 1st October 2013

NOTIFICATION

No. F 7-18 /2013/ 32 .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government hereby, proposes to make the following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984 and publishes the same as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of its publication in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, Room number-M-5/15 Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, District Raipur in office hours shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

After Rule 24 of the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984, the following Rule shall be added, namely :-
"24 (A) -The Competent Authority may allow any modification in the approved building plan during the prescribed time period after receiving an application along with the prescribed fees for building permission, the changes can be made for building permission, except in the following building control parameters :-

(a) Marginal Front open space.

(b) Building Height.

(c) Parking, public utility space.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.